

सदैव यह प्रावधान रहेगा कि जहाँ कहीं भी इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "प्रथम पक्ष" एवं "द्वितीय पक्ष" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ- वहाँ प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, विधिविहित प्रतिनिधि शामिल व पाबन्द होंगे।

विदित हो कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो कि एम0एस0गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून, उत्तराखण्ड के नाम से विख्यात है। चिकित्सालय का निर्माण प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल पर है जिसके निर्माण का क्षेत्रफल लगभग वर्ग मीटर तक विस्तृत है, जिसको संलग्न मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक सेवाएँ संचालित हो रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। द्वितीय पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली मानक के अनुसार प्रशिक्षण कार्य पूरा करता है, तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है किन्तु चिकित्सालय निर्माण के अभाव में सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व सभी पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों को संचालन करने में असफल रहा है। इसलिये प्रथम पक्ष को बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग (All Specialization) अन्य सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम व पैरामैडिकल पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण व संचालन हेतु द्वितीय पक्ष को 50 शैय्याएँ (बैड) के चिकित्सालय की आवश्यकता है। इसलिये प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय में 50 शैय्याएँ (बैड) प्रशिक्षण हेतु 05 वर्षों के लिये आवंटित की गयी हैं। यह 50 शैय्याएँ (बैड) प्रथम पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून) के लिये आवंटन किया गया है। यदि भविष्य में द्वितीय पक्ष शैय्याएँ (बैड) क्षमता बढ़ाते हैं तो 05 वर्ष पूर्व में प्रथम पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून) के अलावा किसी अन्य नर्सिंग व पैरामैडिकल संस्थान को यह शैय्याएँ आवंटन नहीं की जायेगी।

द्वितीय पक्ष घोषणा करता है कि 50 शैय्याएँ (बैड) श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून के अलावा किसी अन्य संस्थान को आवंटित नहीं किया गया है तथा आगामी 05 वर्षों तक भी किसी अन्य संस्थान को नर्सिंग व पैरामैडिकल आवंटित नहीं की जायेगी।

अतः यह स्मृति पत्र निम्न दर्शाता है:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो सम्पति एम0एस0गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून, उत्तराखण्ड के नाम से विख्यात है, जो एक चिकित्सालय है, जिसके भूतल में निर्मित प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल है। जिसके निर्माण का कुल क्षेत्रफल लगभग वर्ग मीटर तक विस्तृत है।
2. यह कि प्रथम पक्ष नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग (All Specialization), अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व सभी पैरामैडिकल के लिये शैक्षिक कार्य को संचालन अपने इंस्टीट्यूट से करेगा तथा उक्त पाठ्यक्रम के अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय का उपयोग करेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष अपने चिकित्सालय को प्रथम पक्ष द्वारा संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षण हेतु 05 वर्षों के लिए उपलब्ध करायेगा जिसके प्रतिफल का प्रकार शैक्षिक सत्र परीक्षाओं पर पक्षकारों के मध्य तय पाया जायेगा।

MS Galaxy Multispecialty Hospital
A Unit of Kala Health Care LLP

Designated Partner

Designated Partner



4. यह कि द्वितीय पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के अनुसार शैक्षिक कार्य करने के मानक को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।
 5. यह कि उपरोक्त समयावधि 05 वर्षों के अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि पक्षकार चाहें तो दोनों पक्षों की सहमति से समयावधि आगे बढ़ाई जा सकती है।
 6. यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त चिकित्सालय का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया है और वह पूर्णतः सन्तुष्ट होकर वर्तमान विलेख अंकित व निष्पादित कर रहा है।
 7. द्वितीय पक्ष हर वर्ष CMO से प्राप्त 50 शैय्याओं (बैड) का Clinical Establishment Certificate एवं 50 शैय्याओं (बैड) का Uttarakhand Pollution Control Board का Certificate प्रथम पक्ष को हर वर्ष देना होगा।
 8. यह MoU आज दिनांक 19.03.2026 से दिनांक 18.03.2031 (05 वर्षों) के लिये मान्य होगा।
 9. यहि प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा यह MoU बीच में ही निरस्त किया जाता है तो प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक वर्ष पूर्व पत्र देकर सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
- अतः यह स्मृति पत्र आज दिनांक 19.03.2026 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित कर दिया है ताकि साक्ष्य रहे और समय पर काम आवे।



ह0 प्रथम पक्ष

श्रीनिवास नौटियाल

श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी
पौधा, देहरादून (आधार
नं०-999897747296)

Shree Dev Bhoomi Institute of
Education Science & Technology
Village Mazhon, P.O. Pounthar
Via-Premnagar, Dehradun (U.K.)

[Signature]
गवाहन

1. डॉ० शिवानंद पाटिल, निदेशक
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस
एण्ड टैक्नोलॉजी गांव-मझौन, पौधा
जनपद-देहरादून
आधार नं० 717354337064

[Signature]

MS Galaxy Multi Speciality Hospital
(A Unit of Kels Health Care LLP)

हॉस्पिटल
देहरादून, उत्तराखण्ड (आधार
नं०-619180818264)

ह0 द्वितीय पक्ष

डॉ० महेश कुडियाल

MS Galaxy Multi Speciality Hospital
(A Unit of Kels Health Care LLP)

हॉस्पिटल
देहरादून, उत्तराखण्ड (आधार
नं०-84035910453)

[Signature]
Ashwin Nautiyal

2. अभिनव नौटियाल,
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड
टैक्नोलॉजी गांव-मझौन, पौधा जनपद-देहरादून
आधार नं० 482603741593

ATTESTED

VIJAY PAL SINGH
Advocate & Notary Public
Reg. No.-26935/2024
valid upto- 03-12-2029
Dehradun Uttarakhand (IN)